केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00025
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00539
अपीलकर्ता श्री महादेव दास
[redacted]

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 06.12.2024 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 11.12.2024 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 16.12.2024 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस.के.चितकारा CPIO (DR to CIC) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 10.01.2025 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 16.01.2025 |
| निर्णय की तारीख | 22.01.2025 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय डाक द्वारा दिनांक 01.11.2024 को भेजी जिसका प्रति पृष्ठ यह सूचना आवेदन के दूसरे भाग में है इसके विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध करने का कृपया करेंगे परन्तु अगर मांगी गयी कोई सूचना उक्त कार्यालय में नहीं है तब इसे सूचना अधिकार के नियमतः सूचना आवेदन को स्थांतरण कर संबंधित कार्यालयों से सूचना उपलब्ध कराने का कृपया करें कि:-

1.) वह निष्पादन पद्धति एवं नियमावली का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कृप्या करें जिसके तहत यह भेजी गयी शिकायत पत्र का निष्पादन किया गया है।
2.) भेजी गयी शिकायत पत्र का दैनिक रिपोर्ट का प्रति पृष्ट उपलब्ध करने का कृपया करें।
3.) स्वेच्छा से लोक कार्य करने के लिए संबंधित लोक सेवक को दिए गए आदेश अथवा प्राप्त अनुमति का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने के कृपया करें।
4.) वह आदेश अथवा नियमावली का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कृपया करें जिसमे आवेदक से प्राप्त पत्र को में उल्लेखित विषय में आवेदक को बिना अवगत कर ही पत्र का निष्पादन करना उल्लेखित है।
5.) वह नियमावली, आदेश अथवा अनुमति पत्र का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कष्ट करें जिसमे प्राप्त शिकायत पत्र में उल्लेखित विषय पर कोई कार्यवाही नहीं करने का अनुमति अथवा आदेश प्राप्त है।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के.चितकारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों पत्र दिनांकित 16.12.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

"Point no. 1, 4 and 5 No action is warranted on complaint dated 01.11.2024. However, Guildelines on disposal of complaints is available in public domain at httpps://darpg.gov.in/sites/default/files/PGRGuideline.pdf.

Point 2 Not available

Point 3 Not available

However, you are hereby informed that as per procedure adopted by CIC for disposal of second appeals and complaints, opportunity of hearing is provided to the Appellant/Complaint to be present at Central Inforamtion Commission or at the designated NIC studio provided in the hearing notice. For procedure in this regard, you can see the Annual Report of the Commission available in public domain at cic.gov.in."

3. प्रथम अपील का आधार

"भेजी गयी पत्र में उल्लेखित विषयानुसार उठायी गयी कदम के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सूचनावेदन भेजे थे जिसका प्रति पृष्ठ यह पत्र के दूसरे भाग में है इसमें आज तक किसी मांगी गयी सूचनावेदनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है अर्थात प्राप्त सूचना शून्य है। महाशय, अगर उल्लेखित विषय वास्तविकता के विपरीत है तब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह पत्र के माध्यम से प्रथम अपील और शिकायत को स्वीकारते हुये अविलम्ब मांगी गयी सूचनावेदनुसार सूचना उपलब्ध करें और सूचना के अधिकार

अधिनियम 2005 का अनुपालन नहीं कर इसका अवहेलना करने का दोषी संबंधित लोक सेवक को मानते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि लोक सेवक को स्वेच्छा से लोक कार्य करने का प्रावधान नहीं है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00539 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने 16.12.2024 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 22.01.2025

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
22 JAN 2025
D. No.
Initials.

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

22/01/24.